न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 05/2025 राजस्व अपील

1. श्रीया पुत्र लोहड्या जाति गुर्जर निवासी दिवाकर तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 06.11.2020 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बहरावण्डा प्रकरण संख्या 08/2020 उनवानी सरकार बनाम श्रीया वगैरा अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थिति : श्री शिवचरण शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांकः 25.02.2025

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का बहरावण्डा द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 के तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की गई कि अप्रार्थी राजाराम, कमल, हंसराज पि. नाथ, अंगद, श्रीया पि. लोहड्या, कंवरपाल पुत्र भारमल निवासी ग्राम दिवाकर ने ग्राम दिवाकर की आराजी खसरा नम्बर 214 रकबा 0.0100 है. किस्म गैर मुमकिन रास्ता पर सम्वत 2077 में कब्जा पडत कर अतिक्रमण किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को एल. आर. एक्ट 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया जो अप्रार्थी को प्राप्त नहीं हुआ। जिस पर प्रार्थी को बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये अपने आदेश दिनांक 06.11.2020 के द्वारा अपीलान्ट को तीन माह के सिविल कारावास एवं 50 गुणा शास्ति के दण्डादेश से दण्डित फरमाया गया जिस पर अपीलान्ट के विरूद्ध गिरफ्तारी वारण्ट जारी कर दिये गये जिसकी जानकारी अपीलान्ट को कतई नहीं हो सकी थी। अपीलान्ट को एस.एच.ओ. सिकन्दरा द्वारा गिरफ्तारी वारण्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। जिससे व्यथित होकर यह अपील अपीलान्ट की ओर से पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपील के नैसर्गिक एवं प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट को सुनवाई व समुचित साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया। मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलान्ट के विरूद्ध उक्त प्रकरण में निर्णय कर दण्डादेश पारित कर दिया जो विधिसम्मत नहीं है। उक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में पारित निर्णय एवं दण्डादेश की अपीलान्ट को कतई जानकारी नहीं थी। दिनांक 18.02.2025 को एस.एच.ओ. सिकन्दरा द्वारा अपीलान्ट की गिरफ्तारी से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में पारित निर्णय व दण्डादेश की जानकारी हुई। जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलान्ट कतई निदोर्ष एवं बेकसूर है उसके द्वारा कभी भी कोई गैर मुमकिन रास्ता पर या सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है जबकि कथित गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 214 ग्राम दिवाकर तहसील बहरावण्डा आज दिनांक को भी सुचारु रूप से चालू है। हल्का पटवारी द्वारा महज राजनैतिक दबाव में आकर उक्त झूठी रिपोर्ट अपीलान्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध पारित निर्णय दिनांक 06.11.2020 निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.03.20 12:46:19 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट ने सम्वत 2077 में ग्राम दिवाकर तहसील बहरावण्डा स्थित गैर मुमकिन रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 214 रकबा 0.0100 है. पर कब्जा पडत कर अतिक्रमण कर लिया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी किया गया जिसे लेने से मना कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही की जाकर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट को बेदखल करने एवं तीन माह के सिविल कारावास एवं 50 गुणा शास्ति के दण्डादेश से दण्डित करने का निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अपीलान्ट का ग्राम दिवाकर तहसील बहरावण्डा स्थित गैर मुमकिन रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 214 रकबा 0.0100 है. पर अतिक्रमण किये जाने पर धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि वर्तमान में उक्त गैर मुमकिन रास्ता चालू है तथा वर्तमान में अपीलान्ट का उक्त गैर मुमकिन रास्ते पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं है। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इस आशय के साथ आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि ग्राम दिवाकर तहसील बहरावण्डा स्थित भूमि खसरा नम्बर 214 रकबा 0.0100 है. पर से अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण हटा लिया जाने बाबत् शपथ पत्र तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर उक्त शपथ पत्र को तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा सत्यापित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.11.2020 में से अपीलान्ट श्रीया पुत्र लोहड्या जाति गुर्जर निवासी दिवाकर तहसील बहरावण्डा की सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा स्थिति में सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 06.11.2020 यथावत प्रभावी रहेगा। शपथ पत्र प्रस्तुत करने एवं सत्यापित कराये जाने की कार्यवाही कराये जाने हेतु अपीलान्ट को रिहा किये जाने बाबत् तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित की जाकर थानाधिकारी थाना सिकन्दरा को तहरीर जारी की जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

(रामस्वरूप चौहान)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 25.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रामस्वरूप चौहान)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.03.20 12:46:19 IST
Reason: SelfAttested